(d) and (e) The Regional Board of Apprentices Training Kanpur does not deal with trade apprentices.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये अध्ययन से प्राप्त तथ्य

2409. **श्रीमती सुषमा स्वराज : श्री राम जेठमलानी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर, 1993 के "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में "अनइम्प्लायमेंट में डबल - वार्न आर. बी. आई." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये अध्ययन से प्राप्त तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस संबंध में बनाई गई योजना के अनुसार वर्ष 2,000 ईस्वी तक कितने युवकों को रोजगार उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन में प्रयुक्त कुछ डाटा अब पुराना हो गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त नवीनतम अनुमानों के अनुसार आठवीं योजना के आरम्भ में (1992-93) बेरोजगारों का बैकलॉग अब 230 लाख होने का अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक यह मानते हुए संगणना करता है कि 1.55% की दर से पूर्व रोजगार वृद्धि सन 2000 ईसवी तक जारी रहेगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 2.6 से 2.8% प्रतिवर्ष की रोजगार वृद्धि अर्थात् प्रतिवर्ष औसतन 80 से 90 लाख के अतिरिक्त रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। आठवीं योजना से नौवीं योजना में रोजगार वृद्धि दर के जारी रहने से अर्थात् प्रतिवर्ष औसतन 95 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन से नौवीं योजनावधि के अंत तक बेरोजगारी नगण्य स्तर तक कम हो जानी चाहिए।

LICENCES ISSUED TO PRIVATE PARTIES FOR JOBS ABROAD

2410. **SHRI IQBAL SINGH** : Will the Minister of **LABOUR** be pleased to state :

(a) whether Government have issued licences to private parties for recruiting persons for jobs or agencies abroad;

(b) if so, the details thereof alongwith the names and addresses of the parties;

(c) whether it is a fact that many unauthorised agencies in the country;

(d) if so, the details thereof and what special measures have been taken by Government to stop for cheating and fraud with the people of the country; and

(e) what is the number of Government agencies which are engaged in this field with state-wise and district-wise details thereof particularly in the state of Punjab ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) Yes, Sir.

(b) The information is being compiled and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d) Under the Emigration Act, 1983, only the Recruiting Agents registered with the Ministry of Labour are authorised to conduct the business of recruitment of persons for employment abroad. Complaints against unauthorised recruiting agents as and when received are referred to the police for investigation and further appropriate action is taken. Appropriate publicity is also given to make people aware of such unscrupulous agents. They are advised not to deal with such agents.

(e) Eight Undertakings of the State Governments are registered with the Ministry of Labour under the Emigration Act, 1983. The detail of such Undertakings is given in the enclosed Statement.